अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र
Andaman And Nicobar Gazette

सत्यमेव जयते

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

Published by Authority

सं. 140, पोर्ट ब्लेयर, सोमवार, 03 अक्तूबर, 2016

No. 140, Port Blair, Monday, October 03, 2016

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय

अधिसूचना

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक 03 अक्तूबर, 2016

सं. 135/2016/फा.सं. 4-17/2013-लो०नि०वि०.— भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के दिनांक 21 फरवरी, 1985 के अधिसूचना सं. यू-14039/2/83 ए.एन.एल. और संघ लोक सेवा आयोग के दिनांक 08.08.2016 के पत्र सं. 3/30(2)/2016-आर.आर. के साथ पठित संविधान की अनुच्छेद 309 में प्रयुक्त शर्त द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त विषय में सभी पूर्व अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतदद्वारा अ०लो०नि०वि०, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में नगर एवं ग्राम योजनाकार के पद में भर्ती पद्धति विनियमन द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

(i) यह नियम अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, अ०लो०नि०वि० स्थापना में नगर एवं ग्राम योजनाकार भर्ती नियम, 2016 कहा जा सकेगा ।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि पर प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण और वेतनमान :-

उस में संलग्न उक्त पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान का उल्लेख इन नियमों के साथ अनुलग्न अनुसूची के स्तंभ 2, 3 और 4 में होगा ।

3. भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अर्हताएँ :-

भर्ती पद्धति, आयु सीमा, अर्हता और उक्त पद से संबंधित अन्य मामलों का उल्लेख उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 13 में होगा ।

4. अनर्हताएँ :-

कोई भी व्यक्ति,

(क) जो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया हो, जिसका/जिसकी पति/पत्नी जीवित है।

या

(ख) जिसका/जिसकी पति/पत्नी जीवित रहते हुए किसी अन्य से विवाह किया हो, उक्त पद में नियुक्ति के लिए अयोग्य होगा:

बशर्ते कि, उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, यदि संतुष्ठ हो कि इस प्रकार के विवाह, इस प्रकार के व्यक्ति और विवाह के प्रति अन्य पक्ष पर लागू व्यैक्तिक कानून के तहत अनुज्ञेय है या इस प्रकार के विवाह के लिए कोई अन्य आधार है, इन नियमों के प्रचालन में ऐसा करने से छूट दे सकता है ।

5. छूट देने का अधिकार :-

जहाँ, उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह यह मत रखते हैं कि ऐसा करना आवश्यक या उचित है, वे आदेश द्वारा, लिखित में कारण अभिलेख कर और यदि आवश्यक हुआ तो संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श कर किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान में छूट दे सकता है ।

6. अपवाद :-

इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए आवश्यक रूप से प्रदान किए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा के छूट तथा अन्य रियायतों पर इन नियमों का कोई प्रभाव नहीं होगा ।

प्रो. जगदीश मुखी
उप राज्यपाल,
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह ।

उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के आदेश द्वारा तथा उनके नाम पर ।

ह./-
(एम. सिवारामा सुब्रामणियन)
संयुक्त सचिव (लो.नि.वि/श.वि)
(फा.सं. 3/30(2)/2016-लो०नि०वि०)

अनुसूची

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के अण्डमान लोक निर्माण विभाग में नगर एवं ग्राम योजनाकार पद के लिए भर्ती नियमावली

1.	पदनाम	**नगर एवं ग्राम योजनाकार**
2.	पद संख्या	01* (2016)*कार्यभार पर निर्भर करते हुए परिवर्तनीय
3.	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 'क' (अलिपिक वर्गीय)
4.	वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान	वे.बै.-3 रु.15600-39100 (ग्रेड वेतन रु.7600)
5.	चयनपद या गैर-चयनपद	चयनपद
6.	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएँ	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक योग्यताएँ पदोन्नति के मामले में लागू होंगी?	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, अल्पावधि अनुबंध सहित ।
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है ।	**पदोन्नति :** सहायक नगर एवं ग्राम योजनाकार पद में पाँच वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतन बैंड-3, रु.15600-39100 वेतनमान में ग्रेड वेतन रु.6600 होना चाहिए तथा पदोन्नति दिए गए अधिकारी को भारतीय सर्वेक्षण या किसी अन्य मान्यताप्राप्त संस्थान से भौगोलिक/सूचना प्रणाली में प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए तथा किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से प्रबंधन पाठ्यक्रम प्राप्त किया हो । **टीप 1:** जहाँ कनिष्ठ जिन्होंने अपनी योग्यता/पात्रता सेवा पूरी कर ली है और पदोन्नति हेतु उनके मामले में विचार किया जा रहा है, उनके साथ उनके वरिष्ठों की पदोन्नति पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि वरिष्ठों की अपेक्षित योग्यता/पात्रता सेवा ऐसी योग्यता/पात्रता सेवा से आधे से अधिक या दो वर्ष जो भी कम हो, से कम न हो और जिन्होंने अपने कनिष्ठ जो ऐसी योग्यता और पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टीप 2 :** पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के उद्देश्य हेतु 01.01.2006 से पूर्व/छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित बढ़ाए गए संशोधित

		वेतन संरचना की तिथि से अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर दी गई सेवा को वेतन आयोग की बढ़ाई गई सिफारिश के आधार पर दी गई तदनुरूप ग्रेड वेतन/वेतनमान में दी गई सेवा मानी जाएगी । **प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित):** केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघशासित प्रदेश या सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान या विश्वविद्यालय या अर्ध-सरकारी या स्वायत्तशासी या सांविधिक संगठन में कार्यरत अधिकारी :- (क)(i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समान पदधारी है, या (ii) मूल संवर्ग/विभाग में वेतन बैंड-3 रु.15600-39100 सहित ग्रेड वेतन रु.6600 या समतुल्य पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद के ग्रेड में पाँच वर्षों की सेवा की हो, और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ एवं अनुभव रखता हो । **अनिवार्य :** (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से सिविल अभियांत्रिकी में स्नातक डिग्री या सिविल अभियांत्रिकी में अभियंता संस्थान (भारत) की भाग क एवं ख परीक्षा उत्तीर्ण हो; या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से वास्तुकला में स्नातक डिग्री या भारतीय वास्तुविद संस्थान द्वारा आयोजित तथा वास्तुकला परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त अखिल भारतीय वास्तुविद् संस्थान की (भाग क और ख) परीक्षा उत्तीर्ण हो । या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से नगर नियोजन में स्नातक डिग्री, तथा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से नियोजन में स्नातक डिग्री तथा स्नातकोत्तर या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से नगर योजनाकार संस्थान (भारत) द्वारा मान्यताप्राप्त शहरी नियोजन या क्षेत्रीय नियोजन या नगर नियोजन या आवासीय या पर्यावरणीय नियोजन में स्नातकोत्तर डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा (2 वर्षीय); या नगर योजनाकार संस्थान (भारत) द्वारा आयोजित अखिल भारतीय नगर योजनाकार परीक्षा उत्तीर्ण हो । (ग) संबंधित क्षेत्र में नौ वर्ष का अनुभव तथा पदधारी के अभियांत्रिकी / नियोजन / वास्तुकला में मास्टर डिग्री होने के मामले में तदनुसार अनुभवकाल घटकर सात वर्ष होगा ।

		वांछनीय : (i) भारत के नगर योजनाकार संस्थान के सह-सदस्यता या समतुल्य । (ii) नगर एवं ग्राम नियोजन कार्यों में भौगोलिक सूचना प्रणाली साफ्टवेयर के संभालने में दो वर्ष का अनुभव । फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति के सीधेमार्ग में है वे प्रतिनियुक्ति हेतु विचार के पात्र नहीं होंगे। वैसे ही पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए प्रतिनियुक्त विचार का पात्र नहीं होगा । (केन्द्र सरकार के इसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभागों में इस नियुक्ति से ठीक पूर्व ग्रहण अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि (आई.एस.टी.सी.) सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि (आई.एस.टी.सी.) सामान्यत: चार वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा आवेदन स्वीकार करने के अंतिम तिथि पर 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी) । **टीप :** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य के लिए दिनांक 01.01.2006/छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित संशोधित वेतन संरचना की तिथि से पूर्व, अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर दी गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर निर्धारित तदनुरूप ग्रेड वेतन/वेतनमान में दी गई सेवा मानी जाएगी, केवल एक से अधिक पूर्व-संशोधित वेतनमान का समान ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय हो गया है जहाँ पर लाभ केवल उसी पद/पदों के लिए मिला है, जिसके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी पदोन्नति के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है ।
12.	यदि विभागीय पदोन्नति समीति विद्यमान है तो उसका गठन क्या है ?	**वर्ग 'क' की विभागीय पदोन्नति समीति :** 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग — अध्यक्ष 2. मुख्य सचिव, अ० तथा नि० प्रशासन — सदस्य 3. सचिव (अ.लो.नि.वि.), अ० तथा नि० प्रशासन — सदस्य
13.	परिस्थितियाँ जिसमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श	प्रतिनियुक्ति (आई.एस.टी.सी) पर अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श अनिवार्य

ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION SECRETARIAT

NOTIFICATION

Port Blair, dated the 3rd October, 2016

No.135/2016/F. No. 4-17/2013-PWD.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, read with the Govt. of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi's Notification No. U-14039/2/83-ANL dated 21st February, 1985, and the UPSC's letter No. F. No. 3/30(2)/2016-RR dated 8th August 2016, the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman & Nicobar Islands hereby makes the following rules, regulating the method of Recruitment to the post of Town and Country Planner in Andaman Public Works Department, Andaman & Nicobar Islands, namely :-

1. Short title and commencement :-

(i) These rules may be called the Andaman & Nicobar Administration Town and Country Planner Recruitment Rules, 2016.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, its classification and the scale of pay :-

The number of said post, classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified against Serial Numbers 2, 3 & 4 of the Schedule annexed hereto.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications :-

The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post, shall be as specified against Serial Nos. 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualifications :-

No person –

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;

Or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that, the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands, may if, satisfied that such marriage is permissible under the personal law, applicable to such persons and the other party to the marriage or there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

5. Power to relax :-

Where the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands is of the opinion, that it is necessary or expedient, to do so, he may by order, for reasons to be recorded in writing and, if necessary in consultation with UPSC, relax any of the provisions of these rules, with respect to any class or category of persons.

6. Savings :-

Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Prof. Jagdish Mukhi
Lieutenant Governor,
Andaman and Nicobar Islands.

By order and in the name of the Lieutenant Governor, Andaman and Nicobar Islands.

Sd/-
(M. Sivarama Subramanian)
Joint Secretary (PWD/UD)

ANNEXURE

FRAMING OF RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF TOWN AND COUNTRY PLANNER IN ANDAMAN PUBLIC WORKS DEPARTMENT, A & N ADMINISTRATION

1.	Name of the post	**Town and Country Planner**
2.	No. of post	1* *(2016) Subject to variation dependent on workload
3.	Classification	GCS Group A, Gazetted, Non-Ministerial
4.	Pay Band & Grade Pay/ Pay Scale	PB-3 Rs. 15600-39100 (Grade Pay Rs. 7600)
5.	Whether Selection or Non-selection post ?	Selection
6.	Age limit for direct recruits	NA
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Not Applicable
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees ?	NA
9.	Period of probation, if any	NA
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and % of the vacancies to be filled by various methods	By Promotion failing which by Deputation including Short-Term Contract
11.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	**Promotion:** Associate Town and Country Planner in the Pay Band-3 Rs.15600-39100 plus Grade Pay of Rs. 6600 with five years regular service in the grade and officers promoted should have undergone training on Geographical Information System from Survey of India or any other recognized institution and shall undergo a management course from any recognized institution. **Note: 1** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Note: 2** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an Officer prior to 1.1.2006 the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay / Pay Scale extended based on the recommendations of the pay commission.

		Deputation (ISTC): Officers under the Central or State Governments or Union Territories or Public Sector Undertakings or recognized Research Institutions or Universities or Semi Government or Statutory or Autonomous Organization: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the posts in the Pay Band-3, Rs.15600-39100 plus Grade Pay of Rs. 6600 or equivalent in the parent cadre/department; and (b) Possessing the following educational qualifications and experience. **Essential:** (1) Bachelor's Degree in Civil Engineering from a recognized University/Institute or having passed Part A & B Examination of Institution of Engineers (India) in Civil Engineering; or Bachelor's Degree in Architecture from a recognized University/Institute or having passed AIIA (Part A & B) Examination conducted by Indian Institute of Architecture and recognized by Council of Architecture; or Bachelor's Degree in Planning from a recognized University/Institute; and Post Graduate Degree or Post Graduate Diploma (2 years) in Urban Planning or Regional Planning or Town Planning or Housing or Environment Planning recognized by Institute of Town Planners (India) from a recognized University/ Institute; or Having passed AITP Exam conducted by the Institute of Town Planners (India). 2) Nine years experience in the relevant field and in the case of an incumbent possessing Master's Degree in Engineering/Planning/Architecture, the experience will accordingly be reduced to seven years. **Desirable:** (i) Associate Membership of the Institute of Town Planner, India or equivalent. (ii) Two years experience in handling of Geographical Information System Software in the Town and Country Planning Works.

		The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation (ISTC) including the period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications). **Note:** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an Officer prior to 1.1.2006/ the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay/Pay Scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade Pay/ Pay Scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that Grade Pay/Pay Scale is the normal replacement grade without any upgradation.
12.	If a DPC exists, what is its composition ?	**Group 'A' Departmental Promotion Committee** :- 1. Chairman / Member, UPSC - Chairman 2. Chief Secretary, A & N Administration - Member 3. Secretary (PWD / UD), A & N Administration - Member
13.	Circumstances in which U.P.S.C is to be consulted in making recruitment	Consultation with U.P.S.C necessary while appointing an Officer on Deputation (ISTC).

MGPPB—140/Gazette/2016— 65 Copies. (SB-HCL-XII)